न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 58/2019

1. प्रसादी देवी पत्नी स्व. सीताराम
2. मुकेश पुत्र स्व. सीताराम
3. शिवदयाल पुत्र स्व. सीताराम
4. जगना देवी पत्नी स्व. लक्ष्मण
5. रमेश पुत्र स्व. सीताराम
6. सुरेश पुत्र स्व. सीताराम
7. मुकेशी पत्नी मुकेश
8. आशा पत्नी शिवदयाल
9. सीमा पत्नी रमेश

} समस्त जाति मीना निवासी पुरा पोस्ट जौलन्दा, तहसील मलारना डूँगर, जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति मडी देवी पत्नि लक्ष्मण
2. फूलादेवी पत्नि मोतीलाल
3. रूकमणी देवी पत्नि रामचरण

} समस्त जातियान गुर्जरान नि0 ग्राम पुरा पोस्ट जोलन्दा तह0 मलारना डूँगर, जिला सवाई माधोपुर।

4. शरीफ पुत्र मनफूल
5. बुन्दो पत्नी शरीफ
6. साबू पुत्र मनफूल
7. रसीदउन पत्नी साबू

} समस्त जातियान सांई निवासी जोलन्दा तह0 मलारना डूँगर, जिला सवाई माधोपुर।

8. अनवर पुत्र साबू
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मलारना डूँगर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर मु0न0 41/2018 निर्णय दिनांक 20.11.2019)

उपस्थित अभिभषाक

1. अपीलांट की ओर से श्री आबिद अली
2. रेस्पो0 की ओर से पेरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 17.02.2021**

Scanned with CamScanner

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0नं0 41/2018 निर्णय दिनांक 20.11.2019 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीयागण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 751 रकबा 1.38 है0 तथा ख0नं0 750 रकबा 0.050 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम जौलन्दा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया सं0 01 का हिस्सा 93 एयर प्रार्थीया सं0 02 का 25 एयर तथा प्रार्थीया सं0 03 का 25 एयर का हिस्सा मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी दर्ज है तथा बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी पुरा जौलन्दा मुख्य डामर सडक से लगती हुई वाके ग्राम जौलन्दा में स्थित है जिस पर प्रार्थीयागण का ही कब्जा काश्त है। उपरोक्त आराजी पूर्व में नंदकिशोर पुत्र कल्याणमल जाति महाजन निवासी जौलन्दा हाल निवासी खिरनी के नाम रिकार्ड खातेदारी दर्ज थी जिसे वादीयागण ने दिनांक 05.06.2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बारह लाख रूपये में क्रय की है तथा जिसका जरिये विक्रय पत्र नामान्तकरण सं0 577 दिनांक 25.06.2018 को प्रार्थीयागण के पक्ष में खोला जाकर खातेदारी अधिकार दिये गये है जो कि ग्राम पंचायत जौलन्दा द्वारा प्रार्थीयागण के पक्ष में स्वीकार किया गया है तभी से अनवरत् कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी सडक के पास होने से जब डामर सडक बनाई गई थी तब प्रार्थीयागण की उक्त आराजी में से ही चौकडिया खोदकर मिट्टी उठाई गई थी जिससे गड्डे हो जाने से फसल काश्त के उपयुक्त नही रही थी तो मौके पर उसे खाली छोड रखा था तो इसी का नाजायज फायदा उठाते हुऐ अप्रार्थीगण 01 लगायत 14 ने उस पर अपना कब्जा व अतिक्रमण कर कच्चा पक्का निर्माण कर लिया था जिसका कि उन्हें कोई हक प्राप्त नही था। अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने पर खातेदार नन्दकिशोर ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा सं0 61/2014 उनवानी नंदकिशोर बनाम सीताराम वगै0 पेश किया जिसमें दिनांक 20.04.2016 को निर्णय व डिक्री द्वारा अप्रार्थीगण को कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा ना तो स्वंय उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावे हेतु पाबंद किया गया परन्तु अप्रार्थीगण ने इस आदेश व डिक्री की पालना नहीं की तब नन्दकिशोर द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसमें दिनांक 28.06.2017 को निर्णय हुआ व पालना करने हेतु तहसीलदार मलारना डूॅगर को आदेश जारी किए गए परन्तु तहसीलदार मलारना डूॅगर ने कोई कार्यवाही नहीं की जिससे अप्रार्थीगण के हौसले बुलन्द हो [illegible] उक्त आराजी पर पक्का निर्माण करने लगे जिसका उन्हें कोई कानूनी [illegible] नहीं [illegible] अप्रार्थीगण न्यायालय के दोनों निर्णयों को दरकिनार करते हुए दिनांक 25.12.2018 [illegible] सडक की ओर पर्दे लगाकर अन्दर ही अन्दर पक्का निर्माण रातों रात में करने लगे। इ[illegible] पता प्रार्थीगण को लगा तो प्रार्थीगण ने निर्माण करने से मना किया परन्तु अप्रार्थीगण झगडे पर उतारू हो गए तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण व उसके परिजनों के विरूद्व थाना बौंली में एस0सी0/एस0टी0 का झूंठा मुकदमा दर्ज करवा दिया इससे पहले प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मारपीट करेन का मुकदमा दर्ज करवा दिया था उसी से बचने के लिए अप्रार्थीगण ने यह मुकदमा दर्ज होने के कारण दिनांक 15.12.2018 को वादकारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वादपत्र अप्रार्थी सं0 01 लगायत 14 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण दौराने वादपत्र प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खं0नं0 750 रकबा 0.05 है0 व खं0नं0 751 रकबा 1.38 है0 ग्राम जौलन्दा के सामने डामर सडक की ओर किसी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण एवं कच्चा या पक्का निर्माण न तो स्वंय करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि एजेन्ट, नौकर या परिजन से करावे तथा कब्जे वाली भूमि को पूर्णतया खाली कर देवे। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने कि इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय रूएदार मिसिल एवं खिलाफ कानून होने के कारण लायके मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर आये तथ्यों पर गौर नहीं कर अहम भूल की है जिस कारण से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि यह भूमि पूर्व में नन्दकिशोर पुत्र कल्याणमल जाति महाजन निवासी जौलन्दा हाल निवासी खिरनी के नाम दर्ज़ थी जिसे रेस्पो0 ने दिनांक 05.06.2018 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बारह लाख रूपये में क्रय की है जिसका नामान्तकरण सं0 577 दिनांक 25.06.2018 को प्रार्थीयागण के पक्ष में खोला जाकर खातेदारी दे दी गई है, इससे स्पष्ट रूप से अपीलांट का यह कथन प्रमाणित होता है कि नंदकिशोर महाजन द्वारा विक्रय की गई भूमि पर रेस्पो0 का उसी प्रकार कब्जा काश्त है जो पूर्व में नंदकिशोर का था है जिस पर अपीलांट द्वारा पूर्व की भांति आज भी किसी प्रकार का न तो कोई अतिक्रमण किया गया है और न ही जबरन जमीन पर कब्जा किया है इस उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] द्वारा झूँठे मनगढत व बेबुनियाद तथ्य अंकित करते हुऐ अपीलांट [illegible] की द्वारा अपनी जमीन में से रहने व अपने जानवरो को बांधने एवं चारा पानी के लिए जमीन का टुकडा अपीलांट के पति व पिता स्व. सीताराम को प्रदान किया था जो आज भी [illegible] सत्येंद्र पाल के खातेदारी में स्थित है जिसे स्व. सीताराम जो अपीलांट का पिता व प्रसादी देवी के पति को रहवास के

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लिए पांच आदमियों के समक्ष प्रदान की थी। रेस्पो0 द्वारा जो अपनी कय शुदा आराजी बताई गई है उसके खं.नं. 750 व 751 है जिसका रकबा 1.38 हे0 व 0.05 हे0 जिस पर पूर्व खातेदार नंदकिशोर महाजन काबिज था और आज रेस्पो0 काबिज है जबकि अपीलांट का उस भूमि से किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अपीलांट साबिक खं.नं. 377 व 366 के मध्य साबिक खं.नं. 405 जिसका नवीन खं.नं. 773 हे0 उस पर काबिज है एवं उसी में ही अपीलांट का बाडा बना हुआ है। इससे स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अपीलांट का खं.नं. 750 व 751 से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। रेस्पो0 के मन में बदयान्ति आ जाने से तथा अपीलांट के विरूद्ध षडयंत्र रचकर अपीलांट को ठाकुर सत्येंद्र पाल द्वारा प्रदान की गई भूमि से हटाना चाहते है। उक्त पूर्व खं.नं. 405 में से दी गई भूमि पर करीब 80 वर्ष पूर्व से ही आज तक अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है जिस पर रेस्पो0 का किसी प्रकार का अधिकार हासिल नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मलारना डूँगर से उक्त मौके की रिपोर्ट तलब किए जाने पर तहसीलदार व पठवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांकित 11.07.2019 में भी अपीलांट के इस कथन की पुष्टि होती है मुताबिक नक्शा शीट खं.नं. 750 व 751 के समीप खं.नं. 773 रकबा 1.50 हे0 गै0मु0 सडक सत्येंद्र पाल सिंह पुत्र ईश्रवरपाल सिंह कोम राजपूत हि0 1058/1072 राहिन एस.बी.बी.जे. बौंली मुर्तहीन सुन्दर देवी पत्नि ताराचंद जाति मीना हिस्सा 14/1072 सा. देह के नाम खातेदार भूमि दर्ज है। मुताबिक मौके अनुसार आराजी खं.नं. 773 में ही सडक बनी हुई है। खं.नं. 750 व 751 की मेड सीमा एवं सडक सीमा की तरफ अपीलांट शिवदयाल पुत्र सीताराम मीना निवासी पुरा जौलन्दा के द्वारा कच्चा मकान बना रखा है। इस रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट पूर्व खं.नं. 405 में से दी गई भूमि पर ही काबिज है जिसका रेस्पो0 की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही बेदखल कराने का न्यायोचित अधिकार हासिल है। अपीलांट के पिता स्व. सीताराम के नाम उक्त बाडा जो बना हुआ है वह खं.नं. 773 में बना हुआ है जिसकी पुष्टि खसरा परिवर्तित तहसील मलारना डूँगर से प्रमाणित होती है कि उक्त बाडा खं.नं. 773 में पूर्व से ही बना हुआ है जिस पर रेस्पो0 का किसी प्रकार का न तो हक पूर्व में हासिल था और ना ही अब है क्योंकि अपीलांट का बाडा खसरा परिवर्तित में गै0मु0 बाडा दर्ज है जिससे स्पष्ट रूप से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि अपीलांट प्रारम्भ से ही ठाकुर सत्यपाल सिंह द्वारा मौखिक रूप से प्रदान की गई भूमि पर काबिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमावे।

4. विद्वान रेस्पो0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्कों का [illegible] ते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि रेस्पो0 ने [illegible] पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र उनवानी नंदकिशोर बनाम सीताराम [illegible] के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें अपीलांट द्वारा सम्मन प्रा[illegible] के बाद भी न्यायालय में हाजिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होकर अपना वकील बनाकर इतिश्री कर ली थी तथा कोई जवाब व गवाह उक्त मुकदमें में पेश नहीं किये गये थे जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2016 को निर्णय व डिकी सुनाते हुऐ अपीलांट को कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही किसी अन्य से कराने का निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय के बावजूद अपीलांट अपनी हरकतों से बाज नहीं आये। उक्त निर्णय की पालना नहीं करने से एवं अवमानना प्रार्थना पत्र के निर्णय की भी पालना नहीं करने से प्रार्थी नंदकिशोर ने परेशान होकर उक्त आराजी को हम रेस्पो0 को बेचान कर दी तथा उक्त आराजी का कय करने के पश्चात हम रेस्पो0 उक्त आराजी के खातेदार व्यक्ति बने है। अपीलांट द्वारा अन्दर ही अन्दर पक्का निर्माण करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ था तथा रेस्पो0 ने उन्हें पूर्व के निर्णय की प्रति भी बताई थी परन्तु अपीलांट निर्माण करने से नहीं रूके तो हम रेस्पो0 द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र बेदखली एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। ख.नं. 405 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा जो कि सत्येंद्रपाल सिंह राजपूत की खातेदारी भूमि है। खातेदार सत्येंद्रपाल सिंह जी ने अपीलांट को उक्त जगह कभी भी रहने के लिए नहीं दी। मुताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2019 से भी यह बखूबी साबित है कि ख.नं. 750 एवं 751 जो कि रेस्पो0 की खातेदारी भूमि है जो बिल्कुल सडक से लगी हुई है उस पर अपीलांट शिवदयाल पुत्र सीताराम मीना निवासी पुरा जौलन्दा के द्वारा कच्चा मकान बना रखा है तथा अपी0 ने चारा डाल कर एवं जानवर बांधकर अतिकमण कर रखा है। किसी भी खातेदारी पर स्वयं खातेदार के अतिरिक्त किसी अन्य को उक्त आराजी पर अतिकमण करने का कोई कानूनी हक नहीं होता है। अपीलांट उक्त आराजी को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेना चाहते है। रेस्पो0 एवं पूर्व के खातेदार श्री नंदकिशोर महाजन ने सेटलमेंट अधिकारियों से कोई मिलीभगत नहीं की है। सेटलमेंट अधिकारियों ने नियमानुसार ख.नं. 751 व 750 की तरमीम सडक तक की है जो सही होने से अपीलांट की अपील खारिज होने योग्य है। अपीलांट के बाडे साबिक ख.नं. 405 में नहीं बने हुऐ है वे वर्तमान में रेस्पो0 की खातेदारी में बने हुऐ है जिन्हें बेदखल करवाने का रेस्पो0 को कानूनी हक प्राप्त है। उक्त प्रार्थना पत्र बेदखली एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का है। उक्त प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती को लेकर नहीं है तथा तरमीम दुरूस्ती रिकार्डेड खातेदार ही करवा सकता है किसी अन्य को कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत [illegible] पर [illegible] किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested

6. पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट कमांक /एल.आर.11[illegible]3618 दिनांक 19.07.19 जो तहसीलदार मलारना डूॅगर द्वारा उप जिला कलेक्टर मलारना डूॅगर को भेजी गयी है, इसके

Scanned with CamScanner

अनुसार "मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 773 में ही सडक बनी हुई है। खसरा नम्बर 750 एवं 751 की मेड एवं सडक सीमा की तरह प्रतिवादी संख्या 03 शिवदयाल पुत्र सीताराम मीना निवासी पुरा जोलन्दा के द्वारा कच्चा मकान बना रखा है।" नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 वाके ग्राम जोलन्दा में खसरा नम्बर 773 गैर मुमकीन सडक दर्ज है। अपील मीमो के मद संख्या 07 में कथन किया है कि अपी0 के पिता स्व. सीताराम के नाम उक्त बाडा जो बना हुआ है। वह खसरा नम्बर 773 में बना हुआ है। मौका रिपोर्ट व कथन से यह तथ्य प्रकाश में आते है कि गैर मुमकिन सडक की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दिनांक 26.12.2018 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक पुष्टि किया है। इस आदेश से सडक की ओर कब्जा, अतिक्रमण व कच्चा व पक्का निर्माण नहीं करने बाबत पाबन्द किया है। इस आदेश से गैर मुमकीन सडक की भूमि को अतिक्रमण से बचाया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि सम्मत तरीके से पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टव्य नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज होने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, मलारना डूँगर के मु0नं0 41/2018 निर्णय दिनांक 20.11.2019 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.2.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner